

# राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 28/10/2022 को संपन्न 431वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022 को डॉ. बी.पी. नोनहारे अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. सैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  3. श्री किशन सिंह घुग, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  4. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
  5. श्री कलदिपुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
- समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आइटम क्रमांक-1: 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आइटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. नेसर्स एफ-1, रातामाटी सेन्ट्र खोरी (प्रो.- श्री सुभाष कुमार गुप्ता), ग्राम-रातामाटी, तहसील व जिला-जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2063)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275383/2022, दिनांक 01/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 27/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत (गीण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम-रातानाटी, तहसील व जिला-जरापुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन लाया नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-39,120 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण** –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स शिव शक्ति मेटल्स (टाकरागुड़ा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-टाकरागुड़ा, तहसील-सोहोडीगुड़ा, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2097ए)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 25498/2018, दिनांक 14/04/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 79644/ 2018, दिनांक 30/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-टाकरागुड़ा, तहसील-सोहोडीगुड़ा, जिला-बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 276/1, कुल क्षेत्रफल-2.42 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-45,200 टन प्रतिवर्ष है। उपरोक्त प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उत्खनन की श्रेणी का है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 403, दिनांक 25/06/2019 द्वारा विद्यार्थीन खदान उत्खनन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का. आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मैनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टी.ओ.आर जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

## बैठक का विवरण -

### (अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेश सुमानी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 49037/ 2018, दिनांक 28/12/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसमें राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 305वीं, 317वीं, 333वीं, 334वीं, 337वीं, 342वीं, 348वीं एवं 358वीं बैठक क्रमशः दिनांक 18/01/2020, 29/02/2020, 04/07/2020, 10/07/2020, 01/09/2020, 08/10/2020, 07/11/2020 एवं 12/02/2021 में प्रकरण पर विचार किया गया था। उक्त बैठकों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण / जानकारी / दस्तावेज हेतु दिनांक 22/02/2020, 27/06/2020, 08/07/2020, 25/08/2020, 29/10/2020, 07/12/2020, 08/01/2021, 04/02/2021 एवं 08/03/2021 को पत्र प्रेषित किया गया था। परियोजना प्रस्तावक से समिति द्वारा पूर्व बैठकों में पृथक-पृथक पत्रों से जानकारी चाही गई थी, जो निम्नानुसार है:-

- उल्खनित क्षेत्र को पुनर्भरण कर वृक्षारोपण का कार्य 6 माह के भीतर किये जाने हेतु सपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
- अध्ययन क्षेत्र में Schedule-I species के वन्य जीव के संरक्षण हेतु वन/वन्य जीव विभाग से परामर्श उपरांत योजना तैयार कर, वन विभाग के सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत की जाए।
- सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 5,00,000/- रुपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
- उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 5,00,000/- रुपये की बैंक गारंटी एवं समबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति एवं उपरोक्त वांछित जानकारी प्रस्तुत करने में रुचि नहीं लिये जाने के कारण प्रकरण को

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लेकर उक्त आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति दी गई थी। तदुपरांत एस.ई.आई.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 द्वारा ग्राम-टाकतगुड़ा, तहसील-लोहंडीगुड़ा, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 278/1(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 2.42 हेक्टेयर, चूना पत्थर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता - 46,200 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन को डि-लिस्ट/निरस्त किया गया है।

2. वर्तमान में एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78644/ 2018, दिनांक 30/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी/दस्तावेज आज दिनांक तक अपूर्ण है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया है कि वांछित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्रीमती नीलम पोद्दार (चंवरदाल लाईम स्टोन माईन), ग्राम-चंवरदाल, तहसील व जिला-राजनादगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1295)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 79475/2020, दिनांक 04/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-चंवरदाल, तहसील व जिला-राजनादगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल-2.02 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-49,996 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2317, दिनांक 26/03/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अप्थर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पोद्दार अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एम्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल-2.024 हेक्टेयर, क्षमता-49,996 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षाशेषण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1859/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | उत्पादन (टन) |
|---------|--------------|
| 2017-18 | 22,216       |
| 2018-19 | निरंक        |
| 2019-20 | निरंक        |
| 2020-21 | निरंक        |
| 2021-22 | निरंक        |

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 18/11/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 4325/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1860/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 5,384 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 264/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती नीलम पौददार के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/07/2007 से

*[Handwritten signature]*

30/07/2012 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 31/07/2012 से 30/07/2017 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 31/07/2017 से 30/07/2037 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./न.क्र./10-1/2020/1944 राजनांदगांव दिनांक 24/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 9 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-चवरदाल 480 मीटर, स्कूल ग्राम-चवरदाल 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.35 कि.मी. दूर है। तालाब 2.25 कि.मी. एवं औरदा नदी 8.4 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोसॉजिकल रिजर्व 8,44,537 टन, माईनेबल रिजर्व 5,37,412 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,10,541 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,095 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है, जिसमें से पहाड़ी क्षेत्र की ऊंचाई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर थी, जिसे पूर्व से उत्खनित किया जा चुका है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष  | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|-------|------------------------|
| प्रथम   | 48,165                 | षष्ठम | 49,992                 |
| द्वितीय | 49,995                 | सप्तम | 49,989                 |
| तृतीय   | 49,995                 | अष्टम | 49,732.5               |
| चतुर्थ  | 49,992                 | नवम   | 48,920.2               |
| पंचम    | 49,991.5               | दशम   | 47,894                 |

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल प्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 855 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज

क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है-

| विवरण  |   | प्रथम<br>(रुपये) | द्वितीय<br>(रुपये) | तृतीय<br>(रुपये) | चतुर्थ<br>(रुपये) | पंचम<br>(रुपये) |
|--|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| खदान के<br>बाउण्ड्री में<br>(855 नग)<br>कृषारोपण<br>हेतु | कृषारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 49,780           | 4,940              | 4,940            | 4,940             | 4,940           |
|  | फेंसिंग हेतु राशि                       | 1,27,400         | -                  | -                | -                 | -               |
|  | खाद हेतु राशि                           | 4,920            | 487                | 487              | 487               | 487             |
|  | सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि            | 2,66,000         | 2,16,000           | 2,16,000         | 2,16,000          | 2,16,000        |
| <b>कुल राशि = 13,33,808</b>                              |   | <b>4,48,100</b>  | <b>2,21,427</b>    | <b>2,21,427</b>  | <b>2,21,427</b>   | <b>2,21,427</b> |

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य मार्च से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर तटही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ<sub>2</sub>, एनओ<sub>2</sub> का सान्द्रण लेवल:-

| Concentration level ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) of criteria pollutants |                                      |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Criteria Pollutants   | Minimum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Maximum ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | CPCB Standard ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
| PM <sub>2.5</sub>   | 25.87                                | 55.56                                | 60   |
| PM <sub>10</sub>  | 46.64                                | 68.23                                | 100  |
| SO <sub>2</sub>   | 8.54                                 | 14.68                                | 80   |
| NO <sub>2</sub>   | 10.84                                | 21.09                                | 80   |

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार ब्लीसाइड्स, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:-

| Noise level - dB (A)   |                |                |                      |
|------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| Equivalent Noise level | Minimum dB (A) | Maximum dB (A) | CPCB Standard dB (A) |
| Day L <sub>eq</sub>    | 47.69          | 54.87          | 75                   |
| Night L <sub>eq</sub>  | 32.1           | 46.21          | 70                   |

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 6 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्परचाय कुल 54 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना -

| Contributed Concentration Levels Particulate Matter<br>(AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM <sub>10</sub> |                                     |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| S. No.   | Activity in the mine                | Maximum Baseline Concentration in GLCs ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) at core area | Calculated GLCs ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Resultant Concentration ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |
| 1.   | Overall Activities control ROM      | 65.21  | 13.0   | 78.21  | 100  |
| 2.   | Overall Activities uncontrolled ROM |  | 34.0   | 99.21  |  |
| 3.   | ROM Blasting                        |  | 2.2  | 87.41  |  |

16. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन, ग्राम-बंदरडाल, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों के फसलों, गन्धुओं एवं जीव-जन्तुओं पर बुरा असर पड़ रहा है।
- ब्लॉस्टिंग के समय झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में ब्लॉस्टिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर स्थित मंदिर में दरारे आ रही है।
- खदान के चारों ओर कांटेदार फेड़ लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा घेरा कराया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।



iv. खदान से उत्पादित गिट्टी पत्थर को घरसा में रख दिया जाता है, जिससे घरसा ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- घूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिड़काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे घूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।
  - अनुमती कंट्रैक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लैस्टिंग किया जाएगा, ब्लैस्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लैस्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर एवं झंडा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
  - लीज क्षेत्र के चारों ओर पीछे लगाये जाएंगे, बाउण्ड्री के चारों ओर कंसिमें कराई गई थी जिसका संधारण कराया जाएगा।
  - खदान से उत्पादित गिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज क्षेत्र में किया जाएगा।
18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 5 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

| विवरण  |   | प्रथम<br>(रुपये) | द्वितीय<br>(रुपये) | तृतीय<br>(रुपये) | चतुर्थ<br>(रुपये) | पंचम<br>(रुपये) |
|--|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2 कि.मी.<br>मार्ग के<br>दोनों तरफ<br>(1,334<br>नम)<br>वृक्षारोपण<br>हेतु | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 1,01,384         | 10,184             | 10,184           | 10,184            | 10,184          |
|  | फेंसिंग हेतु राशि                         | 10,87,200        | -                  | -                | -                 | -               |
|  | खाद हेतु राशि                             | 10,050           | 1,020              | 1,020            | 1,020             | 1,020           |
|  | सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि              | 6,32,000         | 4,32,000           | 4,32,000         | 4,32,000          | 4,32,000        |
| <b>कुल राशि = 36,83,450</b>  |   | <b>18,10,634</b> | <b>4,43,204</b>    | <b>4,43,204</b>  | <b>4,43,204</b>   | <b>4,43,204</b> |

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

| विवरण  |   | प्रथम<br>(रुपये) | द्वितीय<br>(रुपये) | तृतीय<br>(रुपये) | चतुर्थ<br>(रुपये) | पंचम<br>(रुपये) |
|--|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 548 मीटर<br>मार्ग के<br>दोनों<br>तरफ<br>(384 नम)<br>वृक्षारोपण | वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि | 27,664           | 2,736              | 2,062            | 2,062             | 2,062           |
|  | फेंसिंग हेतु राशि                         | 2,91,200         | -                  | -                | -                 | -               |
|  | खाद हेतु राशि                             | 2,730            | 270                | 210              | 210               | 210             |
|  | सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि              | 1,72,861         | 1,17,861           | 93,245           | 93,248            | 93,248          |

|                     |          |          |        |        |        |  |
|---------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--|
| हेतु                |          |          |        |        |        |  |
| कुल राशि = 9,01,852 | 4,94,455 | 1,20,867 | 95,510 | 95,510 | 95,510 |  |

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
2. अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 1 के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. नॉटरीयल स्टास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. नाईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
12. क्लस्टर हेतु कॉमिन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में

*Handwritten signature*

आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

13. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनःसंश्लेषित कर प्रस्तुत किया जाए।
14. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्न, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्न, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स मोखली लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री भीषम चक्रवर्ती), ग्राम-मोखली, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2094)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 275341/2022, दिनांक 27/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित चूना पत्थर (मीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-मोखली, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 106/1, 106/4, 107/1, 107/2, 107/3, 116/3 एवं 116/4, कुल क्षेत्रफल-2.106 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30,000 टन (12,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भीषम चक्रवर्ती, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोखली का दिनांक 10/01/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – स्वारी प्लान (एलांग विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्मा, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 3367/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 16/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1139/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 1.332 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1139/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 02/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरुघट, अस्पताल, स्कूल, पुस्त, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री भीष्म चक्रवर्ती के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर, (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 932/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 10/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्री प्रवीण कुमार चक्रवर्ती एवं श्री भीष्म चक्रवर्ती (आवेदक) के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10-1/2021/9728 राजनांदगांव, दिनांक 26/11/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-मोखली 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम-मोखली 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यामार्ग 8 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 600 मीटर दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जिबेलाजिकल रिजर्व 14,21,550 टन, माईनेबल रिजर्व 4,97,595 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,76,595 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,783 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया



जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेघ की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 16 वर्ष है। जैक हैमर एवं रॉक ब्रेकर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम   | 30,000                 |
| द्वितीय | 30,000                 |
| तृतीय   | 30,000                 |
| चतुर्थ  | 30,000                 |
| पंचम    | 30,000                 |

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल ग्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, पॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** - प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. जारी होने से पूर्व ही लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5.783 वर्गमीटर क्षेत्र में से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वैकृति की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (C) के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉम्पॉरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा निजी भूमि (खसरा क्रमांक 113(पार्ट), क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर) में वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. (C.E.R.) लागत की उपयुक्त गणना कर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित भूमि में

अथवा शासकीय स्कूल में ही वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.ई.आर. (C.E.R.) का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. जल की आपूर्ति हेतु सेंट्रल ड्राउन्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, कैंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. (C.E.R.) लागत की उपयुक्त गणना कर ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित भूमि में अथवा शासकीय स्कूल में ही वृक्षारोपण किये जाने हेतु सी.ई.आर. (C.E.R.) का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संकंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अकैथ उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
7. कंट्रोल स्टारिफिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर राघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिस्तरर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंदरावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स मवाली आर्जिनरी स्टोन क्वैरी (प्रो.-श्रीमती उमादेवी सिंह), ग्राम-मवाली, तहसील-कुनकुरी, जिला- जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2092)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 279912/2022, दिनांक 27/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गीण खनिज) खदान है। ग्राम-मवाली, तहसील-कुनकुरी, जिला-जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 247/1, कुल क्षेत्रफल-1.81 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-26,948.4 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।



6. मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्रो.- श्रीमती सुजाता डाकलिया, रामपुर लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2071)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 274703/2022, दिनांक 07/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कनिची होने से ज्ञापन दिनांक 16/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 29/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रामपुर, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 78/9, 78/10, 78/11, 79(घाटी), 439/2(घाटी) एवं 439/9, कुल क्षेत्रफल-1.207 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश डाकलिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामपुर का दिनांक 10/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान (एलींग विथ इन्ड्यारीमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्ष, नया रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2741/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(1) नया रायपुर, दिनांक 30/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 359/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानें, कुल क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 359/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।



6. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. मैसर्स सुजाता मिनरल्स प्रो- श्रीमती सुजाता डाकलिया के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर, (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 189/खलि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. मू-स्वामित्व – भूमि खसरा क्रमांक 78/9, 78/10, 79(पार्ट), 439/2(पार्ट) एवं 439/9 श्री पल्डू राम एवं खसरा क्रमांक 78/11 श्री दुखु राम के नाम पर है। उत्खनन हेतु मू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के झापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10-1/2022/1806 राजनांदगांव, दिनांक 25/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13.204 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-रामपुर 450 मीटर एवं स्कूल ग्राम-रामपुर 1 कि.मी अस्पताल अर्जुनी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 450 मीटर दूर है। शिवनाथ नदी 25 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,81,050 टन, माईनेबल रिजर्व 44,685 टन एवं रिकवरेबल 42,450 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,369 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सीमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लैंक हेमर से ड्रिलिंग एवं स्टाब्लिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम   | 8,000                  |
| द्वितीय | 8,000                  |
| तृतीय   | 10,000                 |
| चतुर्थ  | 9,000                  |
| पंचम    | 9,000                  |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पीधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान के कुछ क्षेत्र संकीर्ण (Narrow area) होने के कारण 2.191 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावका द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से घर्षा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) |                                      |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                                     |  |  | Particulars   | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40                                  | 2%   | 0.80                                       | Following activities at, Village- Rampur                      |                                      |
|                                     |  |  | Pavitra Van Niman   | 2.76                                 |
|                                     |  |  | <b>Total</b>  | <b>2.76</b>                          |

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पीधों के लिए राशि 38,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रुपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 2,78,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत रामपुर के सहमति उपरांत क्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 115, क्षेत्रफल 0.404 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य

कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस निदृष्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. कंट्रोल स्टास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्संघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स जय अम्बे ब्रिक्स इण्डस्ट्रीज (प्री.- श्री मनोज कुमार जैन, मारगांव आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम-मारगांव, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2097)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78403/2022, दिनांक 30/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। ग्राम-मारगांव, तहसील-डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 442, कुल क्षेत्रफल-4.43 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-7,995 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 28/10/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं सगन्ता सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन /281098/2022, दिनांक 01/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (Forest clearance stage-II for 55.26 Ha) हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान एवं बेनिफिसियेशन प्लांट है। खदान ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल क्षेत्रफल-182.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल-91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट-1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.के. मोईजा एवं श्री एस.के. स्वान, ज्योयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स सलिहा लाईन स्टोन माईन (प्रो.-श्री शिव कुमार जायसवाल), ग्राम-सलिहा, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1949)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 258448/2022, दिनांक 26/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माँछित जानकारी दिनांक 02/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-सलिहा, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 189/2, कुल क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,072.7 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार देवांगन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में घुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 189/2, कुल क्षेत्रफल-0.303 हेक्टेयर, क्षमता-1,072.70 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
  - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षाच्छेपण नहीं किया गया है।
  - iv. समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रामाणिक कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन एवं करार की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत सलिहाघाट का दिनांक 28/06/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - क्यासी प्लान, इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान एम्ड स्वारी बलोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1628/ख.लि./तीन-1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 20/12/2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1044/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 10/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.463 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1044/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 10/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - भूमि एवं लीज श्री शिवकुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2009 से 16/02/2014

तक की अवधि हेतु कैब थी। तत्पश्चात् लीज डीड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 17/02/2014 से 16/02/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलीदाबाजार वनमण्डल, बलीदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/2022/1735 बलीदाबाजार, दिनांक 17/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 12 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-सलिहा 515 मीटर, स्कूल ग्राम-सलिहा 515 मीटर एवं अस्पताल ग्राम-सलिहा 515 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 830 मीटर एवं राज्यमार्ग 8.6 कि.मी. दूर है। महानदी 575 मीटर, नाला 1.33 कि.मी. एवं तालाब 1.47 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिमोलॉजिकल रिजर्व 30,300 टन, माईनेबल रिजर्व 11,918 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 10,728 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,513,08 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर थी, जिसका उत्खनन पूर्व में ही किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्वार स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लैस्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष  | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|-------|------------------------|
| प्रथम   | 1,072.70               | षष्ठम | 1,072.70               |
| द्वितीय | 1,072.70               | सप्तम | 1,072.70               |
| तृतीय   | 1,072.70               | अष्टम | 1,072.70               |
| चतुर्थ  | 1,072.70               | नवम   | 1,072.70               |
| पंचम    | 1,072.70               | दशम   | 1,072.70               |

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।



13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति द्यूब वेल के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित द्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?
- यदि स्थित द्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
  - यदि द्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 100 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,513.08 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2 मीटर की गहराई तक ऊपरी मिट्टी उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (a) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of GPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।



2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट शर्तों के पालनाथ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. पेयजल की आपूर्ति ट्यूब वेल के माध्यम से किये जाने के संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रस्तावित ट्यूब वेल सार्वजनिक है अथवा निजी?
  - I. यदि स्थित ट्यूब वेल लीज क्षेत्र के भीतर अथवा अन्य स्थल पर व्यक्तिगत हो तो भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्द्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाए।
  - II. यदि ट्यूब वेल सार्वजनिक हो तो जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फौसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती नगर, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
9. कंट्रोल स्टाम्पिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु राख्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

10. मेसर्स श्री साई सहरा ट्रेडर्स (पार्टनर - श्री विजय कुमार शर्मा, धीरामाठा लो-ग्रैंड साईम स्टोन क्वारी), ग्राम-धीरामाठा, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2067)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276638/2022, दिनांक 04/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमीषी होने से ज्ञापन दिनांक 20/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित घूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-धीरामाठा, तहसील-भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 61/1 एवं 63/2, कुल क्षेत्रफल-2.312 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-33,982.5 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठक का विवरण -**

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय कुमार शर्मा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में आवेदन के साथ प्रस्तुत माईनिंग प्लान के अनुमोदन पत्र, लीज डीड, कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों तथा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 61/1 एवं 63/2 का उल्लेख होना पाया



गया है। परन्तु माईनिंग प्लान, ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, भू-स्वामित्व दस्तावेज एवं पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 63/1 एवं 63/2 का उल्लेख है। अतः समिति का मत है कि उपरोक्त खसरा संबंधी विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 63/1 एवं 63/2, कुल क्षेत्रफल-2.312 हेक्टेयर, क्षमता-16,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 23/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।
  - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
  - iii. निर्धारित शर्तानुसार 300 नग वृक्षारोपण किया गया है।
  - iv. समिति का मत है कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चौरामाठा का दिनांक 18/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1142/खनि 02/मा.प्र.अनुमोदन/न.क्र.08/2021(3) नवा रायपुर, दिनांक 14/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1891/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1891/ख.नि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 23/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
7. लीज का विवरण - पूर्व में लीज श्री मुकेश कुमार के नाम पर थी। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 20/01/2020 से 19/01/2050 तक की अवधि हेतु



वैध है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 09/12/2020 को श्री साई सहारा ट्रेडर्स (पार्टनर-श्री विजय कुमार शर्मा एवं श्री विमल अग्रवाल) के नाम पर किया गया है।

8. भू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 39, 52/2, 53, 63/1 एवं 63/2 श्री हेततम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलीदाबाजार वनमण्डल, बलीदाबाजार के आपन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/2022/1348 बलीदाबाजार, दिनांक 18/05/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-कोसमाण्डा 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-धीरामाठा 2.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-धीरामाठा 2.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9 कि.मी. दूर है। महानदी 40 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 7,25,450 टन, नाईनेबल रिजर्व 4,30,435 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 4,08,913 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,183 वर्गमीटर है। आपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेड की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 14 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्लारिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम   | 30,000                 |
| द्वितीय | 30,000                 |
| तृतीय   | 31,121.25              |
| चतुर्थ  | 30,000                 |
| पंचम    | 33,982.5               |

14. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।



15. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 650 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 32,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,85,150 रुपये, खाद के लिए राशि 15,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,80,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 4,12,650 रुपये आगामी 5 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. खसरा संबंधी विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुल्लेख न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं संमित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

**एजेन्डा आइटम क्रमांक-3:** परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन परचात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (बेलदुकरी डोलोमाईट क्वारी), ग्राम-बेलदुकरी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (राजिवालय का नस्ती क्रमांक 1952)

ऑनलाईन आवेदन - प्रफोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 258893/2022, दिनांक 01/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह प्रस्तावित डोलोमाईट (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बेलदुकरी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक - 331/1, 331/2, 331/4, 331/5, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 332/4, 333, 335/1, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7, 336/9, 336/10, 336/11 एवं 339/2, कुल क्षेत्रफल-4.107 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,99,992 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार सागर, प्रोपराईटर एवं श्री धनंजय घोड़े, डायरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलटुकरा का दिनांक 12/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 307-10/माइनिंग-2/क्यू.पी./एफ.नं. 11/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न.क्र. 24/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न.क्र. 23/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 50 मीटर दूर है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, नजालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-2/2017/12 नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें।" शर्तों के अधीन जारी की गई है।
7. भू-स्वामित्व –

| खसरा नंबर | भू-स्वामित्व                            | खसरा नंबर | भू-स्वामित्व             |  |
|-----------|---|-----------|--------------------------|--|
| 331/1     | जे.एन.कोल बेनीफिकेशन एण्ड पावर प्रा.लि. | 336/1     | राशि स्टील एण्ड पावर लि. |  |
| 331/4     |   | 336/3     |                          |  |
| 333       |   | 336/1     |                          |  |
| 331/5     |   | 336/2     |                          |  |
| 331/8     | राशि स्टील एण्ड पावर लि.                | 336/3     |                          |  |
| 331/9     |   | 336/5     |                          |  |
| 331/10    |   | 336/6     |                          |  |
| 331/11    |   | 336/7     |                          |  |
| 336/2     |   | 336/9     |                          |  |
| 331/2     | श्री संतकुमार                           | 336/10    |                          |  |
| 332/4     | श्री संतराम                             | 336/11    |                          |  |
|           |   | 339/2     |                          |  |

उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों (जे.एन.कोल बेनीफिकेशन एण्ड पावर प्रा.लि., संतकुमार एवं संतराम) के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4315 बिलासपुर, दिनांक 06/09/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। चूंकि उक्त जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। लीज सीमा से अधानकमार टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी उपसंचालक, अधानकमार टाईगर रिजर्व से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-बेलदुकरी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम-बेलदुकरी 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल जयरामनगर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 24,23,525 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,22,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,344 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट रोमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में 4,240 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में ऊपर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लॉस्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षाकर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम   | 59,982                 |
| द्वितीय | 1,29,974               |
| तृतीय   | 1,39,997               |
| चतुर्थ  | 1,49,994               |
| पंचम    | 1,99,992               |

13. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,260 घनमीटर है, जिसमें से 7,300 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसत क्रमांक 327) में भंडारण किया जाएगा। ओवर बर्डन की मोटाई 1 से 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 21,442 घनमीटर है, जिसमें से 550 घनमीटर ओवर बर्डन को पूर्व से





उत्खनित सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुनःभरण एवं 10,580 घनमीटर ओवर बर्डन को गैर माईनिंग क्षेत्र में भंडारण एवं 10,382 घनमीटर ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 336/3) में भंडारण किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरेवेल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल राठमड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,53,750 रुपये तथा खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 82,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 4,10,750 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल राशि 60,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,344 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 220 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर एवं 714 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
17. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment<br>(in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) |          |
|--|--|------------------------------------|---|----------|
|  |  |                                    | Particulars   | CER Fund |
|  |  |                                    |   |          |

|    |    | (in Lakh Rupees) | Allocation (in Lakh Rupees)  |             |
|----|----|------------------|--|-------------|
| 75 | 2% | 1.5              | Following activities at Nearby Govt. Primary & Middle School, Village- Beltukari |             |
|    |    |                  | Rain water harvesting system   | 1.40        |
|    |    |                  | Plantation (30 No's)   | 0.10        |
|    |    |                  | <b>Total</b>   | <b>1.50</b> |

19. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. यदि परियोजना प्रस्तावक शेष ऊपरी मिट्टी मात्रा 5,960 घनमीटर एवं ओकर बर्डन मात्रा 10,362 घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित स्थल में भण्डारित करना चाहता है तो समिति का मत है कि उक्त ऊपरी मिट्टी एवं ओकर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी एवं ओकर बर्डन का दुरुसंयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओकर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने संबंध शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि नाला एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि मेसर्स एंशि रटील एण्ड पॉवर लिमिटेड के नाम पर है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तृत प्राक्कलन सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से अचानकमार टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
2. भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को

शक्ति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित करने हेतु भूमि कितनी दूरी पर स्थित है? के संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. शेष 5,980 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) एवं शेष 10,382 घनमीटर ओकर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 336/3) में भंडारण किये जाने हेतु उक्त खसरा के भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी एवं ओकर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी एवं ओकर बर्डन का दुरुलपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओकर बर्डन का उपयोग पुनःभरण में किये जाने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. नाला एवं खदान बाउन्ड्री के मध्य की भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाए। तदनुसार वृक्षारोपण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/07/2022 के परिषेख्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

#### **(ब) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय उष संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक व.प्र./स्टेनो/3706/लोरमी/दिनांक 02/09/2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन्य जीव अभयारण्य अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4315 बिलासपुर, दिनांक 06/09/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जो कि 10 घनमीटर प्रतिदिन से कम है। अतः भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से छूट प्रमाण पत्र लीज एग्रीमेंट के उपरांत खनन सक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति के प्राप्ति के दौरान लिया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त बाबत सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रुपये, फंसिंग के लिए राशि 3,600 रुपये, खाद, सिंचाई तथा

रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,200 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 10,300 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित करने हेतु भूमि 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है।
5. शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) एवं शेष 10,362 घनमीटर ओकर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 336/3) में भंडारण किये जाने हेतु उक्त खसरा के भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी एवं ओकर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी एवं ओकर बर्डन का दुरुलयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओकर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. नासा एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 6,200 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 21,200 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार वृक्षारोपण करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपरराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कचया जाना आवश्यक है।
8. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल सेच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बिलासपुर के ड्रापन क्रमांक 3331/ख.नि.ज./न.क्र. 24/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-बेलदुकी) का क्षेत्रफल 4.107 हेक्टेयर है। खदान की

सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (बेलदुकरी ओलोमाईट क्वारी) को ग्राम-बेलदुकरी, तहसील-नस्तुरी, जिला-बिलासपुर के खसरा क्रमांक - 331/1, 331/2, 331/4, 331/5, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 332/4, 333, 335/1, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7, 336/9, 336/10, 336/11 एवं 339/2 में स्थित ओलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.107 हेक्टेयर, क्षमता-1,99,992 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स देवीपुर आर्दिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.- श्रीमती मंजू अग्रवाल), ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1742) ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220855/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 2,106 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन एवं ई-मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 के परिप्रेष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अबलोकन एवं परीक्षण कर तथा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए





परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिजस मिनेरल क्षेत्र में विधाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3355/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, नरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है। लीज श्रीमती मंजू अग्रवाल के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/02/2009 से 12/02/2019 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 13/02/2019 से 12/02/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./51/2009 अम्बिकापुर, दिनांक 18/01/2009 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-देवीपुर 0.68 कि.मी., स्कूल ग्राम-देवीपुर 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 3.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.15 कि.मी. दूर है। तालाब 0.37 कि.मी. की दूरी पर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमदारम्प, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 56,589 टन, माईनेबल रिजर्व 21,637 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 19,473 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,110 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,697 घनमीटर है, जिसमें से





17. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि—

1. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
2. उत्खनन हेतु ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की (डिपक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) अद्यतन प्रति कार्यवाही विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को यहाँ तक शामिल किया जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुखा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 एवं 20/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 28/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ली प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 47/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 15/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

| वर्ष                                  | उत्पादन (घनमीटर) |
|---------------------------------------|------------------|
| दिनांक 13/02/2017 से<br>31/12/2017 तक | 216              |
| 2018                                  | 378              |
| 2019                                  | 819              |

*Bh...*

साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनि निरीक्षक द्वारा जारी एसेसमेंट रिकार्ड प्रोफार्मा-“V” की प्रति अनुसार दिनांक 01/01/2020 से 30/06/2020 तक की अवधि में कुल 258 घनमीटर उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में समिति का मत है कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरांत किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 11/10/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे दिनांक 23/09/2022 द्वारा नोटराईज्ड कराकर सत्यापित प्रति प्रस्तुत किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 05/12/2020 के नीचे अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.868 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 04/04/2022 द्वारा प्रभारी खनि अधिकारी से सत्यापित कराकर प्रति प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)                 |                                      |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                                     |  |  | Particulars   | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 13.08                               | 2%   | 0.27                                       | Following activities at Government Primary School, Kawarpara, Village-Devipur |                                      |
|                                     |  |  | Running Water Facility for Toilets  | 0.15                                 |
|                                     |  |  | Plantation  | 0.54                                 |
|                                     |  |  | <b>Total</b>  | <b>0.69</b>                          |

- सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के नीचे (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) कृदारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 25 नग पौधों के लिए राशि 250 रुपये, खाद के लिए राशि 625 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 10,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 10,875 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 42,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 943/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 10/06/2022 द्वारा खसरा नंबर 1529/1 रकबा 3.437 हेक्टेयर में से 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र पर ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, वनमण्डलाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं बी-1 नक्शा खसरा पांचशाला अनुसार 1529/1 में से 0.405 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज विभाग सूरजपुर द्वारा स्वीकृत है। तीज अनुबंध पर झुटिका जिस स्थानों में 1529 लिखा है उसकी जगह पर 1529/1 पढ़ा जावे। हेतु पत्र जारी किया गया है। अतः

समिति द्वारा "खसरा क्रमांक 1529 के स्थान पर खसरा क्रमांक 1529/1" किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

7. कंट्रोल प्लानिंग किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं लैपित पीथों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का सूचित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी (दिनांक 12/02/2020 तक) खनिज विभाग (कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा) से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही दिनांक 12/02/2020 के उपरांत किये गये उत्खनन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेजरल लक्ष्मी मिनरल्स (प्रो.- श्रीमती इदिरा चंदा), ग्राम-सोहागपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार-माटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1855)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 243922/ 2021, दिनांक 09/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन



किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यथिना जानकारी दिनांक 03/05/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित घुना पत्थर (नीम खनिज) खदान है। खदान ग्राम-शोहागपुर, तहसील-बिलाईगढ़, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक - 568/6, 569/2, 567/1, 568/1 एवं 569/1, कुल क्षेत्रफल - 0.428 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-22,826.25 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण** –

**(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती इंदिरा चंदा, प्रोफराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में घुना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 568/6, 569/2, 567/1, 568/1 एवं 569/1, कुल क्षेत्रफल-0.428 हेक्टेयर, क्षमता-3,700 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 04/12/2015 को जारी की गई।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि चूंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार 100 नम नमूनारोपण किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 101/ख.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 06/05/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | उत्पादन (टन) |
|---------|--------------|
| 2017-18 | 3,000        |
| 2018-19 | 2,570        |
| 2019-20 | 1,800        |
| 2020-21 | 2,320        |
| 2021-22 | 3,200        |

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत शोहागपुर का दिनांक 29/08/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना - स्कीम ऑफ क्वारी माईनिंग प्लान एलॉग विथ मॉडिफाईड माईन क्लोजर प्लान विथ इन्डायसेमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भूमि की तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 5978/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 08/2021(1) नया रायपुर, दिनांक 23/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-माटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1319/ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 07/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-माटापारा के ज्ञापन क्रमांक/1319 /ख.लि./2021 बलौदाबाजार, दिनांक 07/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, नदी, नाला, एनीकट, तालाब, रेल लाईन एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आवेदित क्षेत्र गहर से 50 मीटर दूरी पर है।
6. लीज का विवरण - लीज लक्ष्मी गिनरत्न, प्रो.- श्रीमती इंदिरा चंद्रा के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 23/09/2014 से 22/09/2024 तक की अवधि हेतु है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि श्री रमेश कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमण्डल, जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि/खनिज/ 2022/323 बलौदाबाजार, दिनांक 01/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-सोहागपुर 204 मीटर एवं स्कूल ग्राम-सोहागपुर 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नाला 500 मीटर एवं महानदी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व 1,48,580 टन, माईनेबल रिजर्व 57,701 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 54,816 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,487 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,055 घनमीटर है। इस ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा।

ALL

बेच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम   | 14,793.75              |
| द्वितीय | 20,081.25              |
| तृतीय   | 22,826.25              |

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोस्वेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 35,000 रुपये, खेसिंग के लिए राशि 71,300 रुपये, खाद के लिए राशि 7,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 36,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,49,300 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 1,44,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,487 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 458 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्सर्जन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है।
16. **उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक VIII (a) के अनुसार:-**

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिती के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh) | Percentage of Capital Investment | Amount Required for CER | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---|
|                              |                                  |                         |   |

| Rupees) | to be Spent | Activities (in Lakh Rupees) | Particulars   | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
|---------|-------------|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| 21.5    | 2%          | 0.43                        | Following activities at, Government Primary School Village- Sohagpur                            |                                      |
|         |             |                             | Drinking water arrangement with filter & its AMC  |                                      |
|         |             |                             | 100 liter capacity RO plan (AQUA IGS SS 100 Ltr Ro Plant, UF, Automation Grade: Semi automatic) | 0.32                                 |
|         |             |                             | 5 Year AMC  | 0.20                                 |
|         |             |                             | <b>Total</b>  | <b>0.52</b>                          |

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माईनिंग क्लोजर प्लान के तहत लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण कर फेंसिंग करके जल संग्रहण कर मछली पालन एवं गांव वालों के खेतों के लिए उपयोजन किया जाएगा। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फालन-प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर (कम से कम 700 नग चौड़े) एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने काबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्तंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों काबत संघालक, संघालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म्, इंदारकी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।



6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दम्पनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को डाफन दिनांक 28/09/2022 के परिषेख्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

**(ब) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 13/08/2022 एवं 12/07/2022 किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर में आवेदन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 अनुसार

#### A. Proposals involving expansion of existing EC

i. At the time of issuance of expansion TOR, the MS of EAC/SEAC shall endorse a copy of the ToR to the concerned IRO of MoEF&CC. Based on the same, project proponent shall approach the concerned IRO of MoEF&CC to issue CCR. Such request shall be expeditiously considered and disposed of by the concerned IRO within a time frame of three months from the date of application of project proponent. In case, the CCR is not issued within three months, the project proponent shall approach concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) or MS of respective State Pollution Control Boards (SPCB) or State Pollution Control Committees (SPCCs) for the same. है। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर (कम से कम 700 नम पीघे) एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीघों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।





3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।
5. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किन्वे जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ क्लब क्वारी एण्ड फिक्स विमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.- श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल), ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1793)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 228287 / 2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्टा विमनी ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 321 एवं 1344/34, कुल क्षेत्रफल-1.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 398वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी, का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत घंघापुर का दिनांक 30/01/2021 एवं ग्राम पंचायत रेवतपुर का दिनांक 10/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ड्रापन क्रमांक/1208/खनिज/खलि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ड्रापन क्रमांक/607/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ड्रापन क्रमांक/608/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यामार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ड्रापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. मू-स्वामित्व - भूमि खसरा क्रमांक 1344/34 श्री बंशरोपन जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 321 श्री सुरेन्द्र जायसवाल, श्री प्रसनल जायसवाल, श्री रामधारी जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ड्रापन क्रमांक/मा.वि./2020/6189 बलरामपुर, दिनांक 11/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 1 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-रेवतपुर 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम-रेवतपुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-रेवतपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। महान नदी 4.5 कि.मी. दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिब्रोलॉजिकल रिजर्व 20,400 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,328 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,611 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 470 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की



ऊँचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईट निर्माण हेतु भट्टा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी किक्सा चिमनी की ऊँचाई 33 मीटर होगी। ईट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाइं ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|---------|----------------------------|--------------|
| प्रथम   | 400                        | 4,00,000     |
| द्वितीय | 400                        | 4,00,000     |
| तृतीय   | 400                        | 4,00,000     |
| चतुर्थ  | 400                        | 4,00,000     |
| पंचम    | 400                        | 4,00,000     |

#### आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

| वर्ष  | प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर) | उत्पादन (नग) |
|-------|----------------------------|--------------|
| षष्ठम | 400                        | 4,00,000     |
| सप्तम | 400                        | 4,00,000     |
| अष्टम | 400                        | 4,00,000     |
| नवम   | 400                        | 4,00,000     |
| दशम   | 400                        | 4,00,000     |

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.41 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाकू ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 236 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसकावार किवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. ईट निर्माण हेतु उपयोग में जाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जिंग-जैंग किलन के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. ईट निर्माण हेतु उपयोग में जाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत क्यायोग्य स्थान (खसराकार विकरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पीछों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

#### (ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. जिन-जंग किल्ल के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा 10 टन से 12 टन एवं उससे जनित ऐश की मात्रा 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख-रखाव में किया जाएगा।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 1,900 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,400 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 84,000 रुपये, झुला एवं फिसलपट्टी के लिए राशि 20,000 रुपये, लाईटिंग, डस्टबीन आदि के लिए राशि 21,500 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रुपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत क्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 462/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत झुला, फिसलपट्टी, लाईटिंग, डस्टबीन आदि का कार्य, के प्रस्ताव को अमान्य किया गया। समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार सी.ई.आर. के तहत "पवित्र वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) में वृक्षारोपण हेतु पीछों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) |                                      |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                                     |  |  | Particulars   | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 28                                  | 2%   | 0.58                                       | Following activities at Village-Revatpur                      |                                      |
|                                     |  |  | Pavitra Van Niman   | 2.26                                 |
|                                     |  |  | Total   | 2.26                                 |

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नव पौधों के लिए राशि 600 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 41,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत रेवतपुर के सहमति उपरंत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 464/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के झापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के झापन दिनांक 20/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के झापन क्रमांक 5108/खनि 02/उ.प-अनु.निष्ठा./न.क्र. 50/2017 (4) नवा रायपुर, दिनांक

30/09/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खननपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के डायन क्रमांक/607/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-रेवतपुर) का रकबा 1.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ वले गवारी एण्ड फिक्स विमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.- श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल) को ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 321 एवं 1344/34 में स्थित मिट्टी उत्खनन (मीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.02 हेक्टेयर, क्षमता - 400 घनमीटर (ईट उत्पादन क्षमता 4,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुड़ेसी आर्टिनरी स्टोन बवारी), ग्राम-कुड़ेसी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1579)

ऑनसाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 201008 / 2021, दिनांक 02 / 03 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कुड़ेसी, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 934 एवं 939, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-13,737.6 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24 / 03 / 2021:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिनियमित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल क्रमशः दिनांक 09 / 04 / 2021 एवं 27 / 04 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04 / 05 / 2021:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संकट में ग्राम पंचायत कुड़ेसी का दिनांक 28 / 02 / 2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 243/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 245/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर (मिट्टी खदान) होना बताया गया है, जिसमें केवल विद्यारथीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदाखनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विद्यारथीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 244/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पार्किंग स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाइन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3709/खनिज/उ.प./कुडेली/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू-स्वामित्व** – भूमि श्रीमती राजकुमारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./2715 बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/04/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.75 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** - गियोलीॉजिकल रिजर्व 3,24,000 टन, माइनेबल रिजर्व 1,78,272 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,87,458 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,265 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेंनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 19,867.5 घनमीटर है, जिसमें 6,000 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क़रार स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। परिवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) | वर्ष  | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|-------|------------------------|
| प्रथम   | 13,669                 | छाटम  | 13,507                 |
| द्वितीय | 13,511                 | सातम  | 13,608                 |
| तृतीय   | 13,507                 | अष्टम | 13,547                 |
| चतुर्थ  | 13,547                 | नवम   | 13,527                 |
| पंचम    | 13,567                 | दशम   | 13,738                 |

नोट: तात्काल में दशमत्त्व के बाद के अंशों को सस्पेंडऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
14. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)         |                                      |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                                     |  |  | Particulars   | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 66.13                               | 2%   | 1.32                                       | Following activities at Nearby Government High School, Village-Kudell |                                      |
|                                     |  |  | Rain Water Harvesting System  | 0.80                                 |
|                                     |  |  | Potable Drinking Water Facility                                       | 0.15                                 |
|                                     |  |  | Running Water   | 0.25                                 |

|  |  |  |                         |             |
|--|--|--|-------------------------|-------------|
|  |  |  | Facility for Toilets    |             |
|  |  |  | Plantation with Fencing | 0.15        |
|  |  |  | <b>Total</b>            | <b>1.35</b> |

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्लस्टर का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। परंतु प्रस्तुत माईनिंग प्लान में लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्लस्टर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर बताया गया। अतः उक्त को लेण्ड यूज पैटर्न (Land use pattern) में समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध में सखन प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सद्दृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस गिनरल क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय क्लस्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार ए.स.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ड्रापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

1. ज़ेप्लेड यूज पैटर्न (Land use pattern) में प्रस्तावित ऊँचाई का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर को समावेश करते हुये रिवाइज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उत्ख.मी.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 913/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 (मिट्टी खदान) खदान, क्षेत्रफल 1.24 होना बताया गया है, जिसमें क्षेत्रफल का मात्रक (एरिया यूनिट) दर्शित नहीं किया गया है, जिसमें केवल विधायी खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विधायी खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के दौरान निकलने वाली ऊपरी मिट्टी 19,867.5 घनमीटर में से 6,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 13,867.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को श्री विवेक राठीर एवं श्री मयंक राठीर की समीपस्थ भूमि पर स्वाम प्रधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर, वृक्षारोपण करने हेतु श्री विवेक राठीर एवं श्री मयंक राठीर से सहमति ली गई है। उक्त का समावेश संशोधित क्वारी प्लान में किया गया है।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत कुहेली का दिनांक 09/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा उत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में दिये विवरण अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजा बाबू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है। जो कलस्टर माईनिंग के प्राक्धानों को आकर्षित करता है। तदनुसार प्रकरण को मूल्यांकन किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) के प्राक्धानों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। एल.ओ. आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ऊपरी मिट्टी के भंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गदाहों के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित नहीं है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के राहट वृक्षारोपण हेतु फौजों का रोपण, कंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। समिति का मत है कि खदान में सुखा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:—

1. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि-नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. एल.ओ.आई. की केंचता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी के मंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाही के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज होल के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त बाधित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 एवं 20/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

#### (इ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। उक्त के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य कोई भी खदान प्रतिपादित नहीं है। तत्संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके अनुसार कार्यालय कन्सेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है।
2. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज सखन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5138/खनि-2/न.क्र. 38/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/10/2022 द्वारा जारी की गई है। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की केंचता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक भौतिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 38/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/09/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कन्सेक्टर, जिला कोरिया को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।

3. ऊपरी मिट्टी के मंडारन के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाही के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित कनाकन शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)                  |                                      |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
|                                     |  |  | Particulars  | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 67.17                               | 2%   | 1.34                                       | Following activities at Nearby Government Primary Kanya School, Village-Kudeli |                                      |
|                                     |  |  | Rain Water Harvesting System   | 0.40                                 |
|                                     |  |  | Potable Drinking Water Facility  | 0.40                                 |
|                                     |  |  | Running Water Facility for Toilets   | 0.30                                 |
|                                     |  |  | Plantation with Fencing  | 0.25                                 |
| <b>Total</b>                        |  |  | <b>1.35</b>  |                                      |

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंबला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रुपये, खाद के लिए राशि 200 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 24,700 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में (आंबला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 50,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 63,200 रुपये, खाद के लिए राशि 10,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रुपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,04,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
8. खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि CGMMR 2015 के नियम 61(02) के नियम का पालन करते हुये बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 1.5 मीटर रखा गया है।
9. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर.

एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बीच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पान्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कुडेली) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कुडेली) को मिलाकर कुल रकबा 3.24 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुडेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम-कुडेली, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 934 एवं 939 में स्थित साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2 हेक्टेयर, क्षमता-13,737 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.- श्री कमलेश कुमार सिंह, पड़रामटोला क्वार्ट्ज क्वारी), ग्राम-पड़रामटोला, तहसील-धुरिया, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1944)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एम्आईएन/ 257159/2022, दिनांक 22/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/04/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - पूर्व से संचालित क्वार्ट्ज क्वारी (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-पड़रामटोला, तहसील-धुरिया, जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ

खसरा क्रमांक 273, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12,985 टन (4,900 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

**1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- I. पूर्व में क्वार्टरज खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 273, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर, क्षमता-12,985 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 18/09/2021 तक वैध थी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- III. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/09/2018 को जारी होने के उपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/995/ख.लि.-01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2021 द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चुंके कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2021 को समाप्त होने के कारण आवेदित क्षेत्र पर उत्खनन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केशोटोला का दिनांक 18/12/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान किथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय, भूमिकी तथा खनिकर्म, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3395/जियोलॉजी(जे.की.)/माइनिंग स्कीम/क्वार्टरज/एफ.नं. 1/2018 तथा रायपुर, दिनांक 26/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /761/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /761/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल,



रेललाईन, नहर, बांध, एनीकट, मयन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, मुरुद्दारा, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचनाएं जैसे नदी, नाला, इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स श्री मिनरल्स, प्रो- श्री कमलेश कुमार सिंह के नाम पर है। लीज 50 वर्षों अर्थात् दिनांक 12/02/2021 से 11/02/2071 तक की अवधि हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक/मा.वि./10-1/7683 राजनांदगांव, दिनांक 09/07/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.298 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-पड़रामटोला 100 मीटर, स्कूल ग्राम-पड़रामटोला 4.35 कि.मी. एवं अस्पताल घुरिया 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 800 मीटर दूर है। नाला 110 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,28,750 टन (2,75,000 घनमीटर) एवं नाईनेबल रिजर्व 5,48,285 टन (2,06,900 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,130 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,250 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। ड्रिलिंग एवं स्टाइलिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष    | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|---------|------------------------|
| प्रथम   | 12,985                 |
| द्वितीय | 12,720                 |
| तृतीय   | 12,455                 |
| चतुर्थ  | 12,985                 |
| पंचम    | 12,455                 |

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्ता कर प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 3,05,000 रुपये 05 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees) |                                      |
|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
|                                     |  |  | Particulars   | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 40                                  | 2%   | 0.80                                       | Following activities at, Village- Padramtola                  |                                      |
|                                     |  |  | Pavitra Van   | 1.06                                 |
|                                     |  |  | <b>Total</b>  | <b>1.06</b>                          |

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (मीन एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार 5 वर्ष में कुल राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ज्ञान पंचायत केशोटोला के सहमति उपरांत व्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 226, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. उत्तरीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पसुजिटिव इस्ट उपसर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. माईमिन लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर राधन वृक्षारोपण किये जाने एवं सेमित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।



5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना क्र.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्सर्जन का प्रकरण लंबित नहीं है।
7. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/09/2018 को जारी होने के उपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/995/ख.लि. -01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2021 द्वारा उत्खननपट्टा स्वीकृत क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि घुंके कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2021 को समाप्त होने के कारण आवेदित क्षेत्र पर उत्खनन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है। कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उत्खनन कार्य करने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य प्रस्तुति का निरीक्षण करने हेतु श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं खनि अधिकारी, जिला-राजनांदगांव को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। दो सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी। प्रस्तावित लीज क्षेत्र में हरे-भरे वृक्ष अधिक हैं। लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष हैं तथा खनन से कितने वृक्षों की कटाई करनी पड़ेगी यह भी निरीक्षण करेंगे। वृक्षों को काटने से बचाये जा सकने की संभावना देखेंगे। प्रस्तावित सी.ई.आर. कार्य हेतु किन्हाकिन्हा स्थल का भी अवलोकन किया जाए तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा खनि अधिकारी, जिला-राजनांदगांव को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/10/2022 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तथा उपसमिति द्वारा दिनांक 10/10/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 28/10/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

**(ब) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:**

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं सेमित पीथी का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
7. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है—

- "With reference to the letter No. 1006/SEAC CG/ Rajnandgaon/1944 Nawa Raipur Atal Nagar Date 27/9/2022, a sub-committee of two members Shri N. K. Chandrakar, Member of SEAC and Mining Officer of Rajnandgaon was constituted to investigate the sanctioned lease of quartz quarry granted for a period of 50 years to Shri Kamlesh kumar Singh, Village- Padramtola ,Tehsil - Chhuria, District- Rajnandgaon for renewal of Environment Clearance.
- The site was visited on date 10/10/2022 where Mining Inspector Rajnandgaon Mr. Neeraj Sharma, representative of project proponent Mr. Santosh Tiwari, revenue patwari and some villagers were present (Copy enclosed).
- Primarily the inspection aimed to check whether mining executed before the Environmental Clearance and working permission from District Authority (Copy Enclosed), as per the record of Mining office Rajnandgaon no production has been made so far in the lease area neither pit pass has been issued yet to the leasee for the same. This which was found to be correct during site inspection also the same was verified in conversation with villagers.
- The Project proponent was granted prospecting cum mining lease (pcml) by Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh; they prospected the area and completed the same within stipulated time which led to the issue of LOI by Directorate of Geology and Mining. On the basis of the same mining plan was submitted and previous Environmental Clearance was granted on 19/08/2018 by DEIAA, Rajnandgaon.
- Another important issue of concern for SEAC, CG was to check for the suitability of corporate environment responsibility in the nearby area of lease. It was checked that village panchayat Padramtola has proposed for CER in khasra no. 225 with area of 0.404 ha. This area found suitable for plantation (mitra van).
- The lease area consists of 10 number trees of native species like senha (ordinary), porsa, babool etc. which are not in restricted list of forest department for cutting and their girth is not more than 30 cm, still the project proponent has agreed not to cut down the trees also in mining

plan does mention that no trees would be cut down, rest of the area consists of seasonal shrubs and bushes of different types.

- The Project proponent is willing to comply all the terms and conditions of SEAC, Chhattisgarh (Affidavit enclosed), therefore it is recommended to sent this proposal to the SEIAA for further approval of Environment Clearance."

8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र चाम्पड़ेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /761/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-पड़रामटोला) का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संवाहित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स श्री गिनरत्स (प्रो.- श्री कमलेश कुमार सिंह, पड़रामटोला क्वार्टेज क्वारी) को ग्राम-पड़रामटोला, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 273 में स्थित क्वार्टेज (गीण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-5 हेक्टेयर, क्षमता-12,985 टन (4,900 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को उपरानुसार सूचित किया जाए।



नेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (बेलदुकरी झोलोमाईट क्वारी)

को खसरा क्रमांक - 331/1, 331/2, 331/4, 331/5, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 332/4, 333, 335/1, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7, 336/9, 336/10, 336/11 एवं 339/2, कुल लीज क्षेत्र 4.107 हेक्टेयर, ग्राम-बेलदुकरी, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर में झोलोमाईट (नीम खनिज) उत्खनन - 1,99,992 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.107 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से झोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 1,99,992 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की कक्षात भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कृशरोपन हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पदार्थ धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रॉसिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विपत्ती / बंद / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कश्चर, स्लैज, ट्रांसफर

प्लाइवुड (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेन फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्लुजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंग / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में सचन वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।
11. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,260 घनमीटर है, जिसमें से 7,300 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) में भंडारण किया जाए। ओवर बर्डन की मोटाई 1 से 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 21,442 घनमीटर है, जिसमें से 550 घनमीटर ओवर बर्डन को पूर्व से उत्खनित सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुनःभराव एवं 10,550 घनमीटर ओवर बर्डन को गैर माईनिंग क्षेत्र में भंडारण एवं शेष 10,362 घनमीटर ओवर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 335/3) में भंडारण किया जाए।
12. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटैनिंग वॉल / नारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।



16. खनिज का परिवहन नेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरत जाना सुनिश्चित किया जाए।
17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

| Capital Investment (in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)                    |                                      |
|-------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|
|                                     |  |   | Particulars  | CER Fund Allocation (in Lakh Rupees) |
| 75                                  | 2%   | 1.5   | Following activities at Nearby Govt. Primary & Middle School, Village- Beltukari |                                      |
|                                     |  |   | Rain water harvesting system   | 1.40                                 |
|                                     |  |   | Plantation (30 No's)   | 0.10                                 |
|                                     |  |   | <b>Total</b>   | <b>1.50</b>                          |

18. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
19. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नव पौधों के लिए राशि 1,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,600 रुपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,200 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 10,300 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण अनुसार कार्य पूर्ण करें।
20. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के नॉनितरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (घाटों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), झील रोड, ओवरबर्डिन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. गैर माईनिंग क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति का सघन वृक्षारोपण किया जाए तथा रोपण पश्चात् उसे संरक्षित किया जाए। वृक्षारोपण की प्रगति का प्रतिवेदन अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इगली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 800 नग पौधों का रोपण (कुल 2,300 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित जाम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डीजीपीएस (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण नण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिस्सर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/नफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
33. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइंग स्टोन) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
34. उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया मू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
35. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि धनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।



36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
37. कार्य स्थल पर यदि केंचिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
38. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकित्साकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
39. श्रमिकों का समय-समय पर आकस्मिक हेल्थ सर्विलेस कराना आवश्यक है।
40. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्भलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
41. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दृष्टि में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
43. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
44. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
46. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

47. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संयोजन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
48. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
49. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
50. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सुनिष, एस.ई.ए.सी.

  
अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ वले क्वारी एण्ड फिक्स विमनी ब्रिक्स प्लांट  
(प्रो.- श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल) को खसरा क्रमांक 321 एवं 1344/34,  
ग्राम-रेवतपुर, तहसील-राजपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज, कुल लीज क्षेत्र  
1.02 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) क्षमता - 400 घनमीटर (ईट  
उत्पादन क्षमता 4,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली  
शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 1.02 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) क्षमता - 400 घनमीटर (ईट उत्पादन इकाई 4,00,000 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करके पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स विमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित माईक-लाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा कुसरोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. ईट उत्पादन हेतु फिक्स विमनी जिग-जैंग किलन अथवा इट मट्टे की स्थापना 2 वर्ष के भीतर किया जाए। यदि जिग-जैंग किलन की स्थापना नहीं किये जाने की

रक्षा में पर्यावरणीय स्वीकृति अमान्य होगी। जिग-जैग किलन का ड्राईन, क्रिजाईन एवं प्लान कोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करले हुये प्रस्तुत किया जाए।

9. ईट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संभारण सुनिश्चित किया जाए।
10. ईट भट्टे में केवल फाईपुड प्राकृतिक गैस, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि का उपयोग किया जाए। पेट कोक/टायरो/प्लॉस्टिक/खारनाक अपशिष्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।
11. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
12. ईट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फलाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के संभारण हेतु उपयोग किया जाए।
13. फलाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे की फलाई ऐश उड़कर आस-पास के क्षेत्रों में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
14. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाइज) करने में किया जाए। जहाँ पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरैटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊंचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिस्ट लॉज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रदूषित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईट भट्टा क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. मिट्टी, प्लाई ऐश एवं ईट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए ताकि मिट्टी अथवा ईट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

| Capital Investment<br>(in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities<br>(in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities<br>(in Lakh Rupees) |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   | Particulars  | CER Fund Allocation<br>(in Lakh Rupees) |
| 28                                     | 2%   | 0.58  | Following activities at Village-Rovatpur                         |   |
|  |  |   | Pavitra Van<br>Nirman  | 2.26                                    |
|  |  |   | <b>Total</b>   | <b>2.26</b>                             |

19. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 08 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
20. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, केल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नव पौधों के लिए राशि 600 रुपये, फीसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 700 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 41,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत रगतपुर के सहमति उपरांत व्यावोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 464/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संकंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
21. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तरीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण नम्बल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से समाप्त कराया जाए।
22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा किये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डिंग डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 236 पक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

24. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 200 नग पीछे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
25. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सर्वेवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
27. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
29. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
30. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
31. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
32. कार्य स्थल पर यदि कोयिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
34. श्रमिकों का समय-समय पर आल्पूपेशनल हेल्थ सर्किलेंस करना आवश्यक है।
35. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।





36. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रहता है।
38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seisacg.org](http://www.seisacg.org) पर भी किया जा सकता है।
39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
40. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
42. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपेक्षित (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (क्या संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
43. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को

पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

44. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, शिसा-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।



सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.



अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुड़ेली आर्जिनरी स्टोन क्वारी)**  
 को खसरा क्रमांक 934 एवं 939, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, ग्राम-कुड़ेली,  
 तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया में साधारण पत्थर (ग्रीन खनिज) उत्खनन -  
13,737 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 13,737 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर फव्वे मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सॉकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्थितियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपखनन (यदि किया जाता हो तो) हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न एम्पूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित



रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम संप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचालन सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा ढम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गार्लेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज का परिवहन मकानेकली क्वार्टर वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए—

| Capital Investment<br>(in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities<br>(in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities<br>(in Lakh Rupees)               |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   | Particulars  | CER Fund Allocation<br>(in Lakh Rupees) |
| 67.17                                  | 2%   | 1.34  | Following activities at Nearby Government Primary Kanya School, Village-Kudoli |   |

|  |  |                                    |             |
|--|--|------------------------------------|-------------|
|  |  | Rain Water Harvesting System       | 0.40        |
|  |  | Potable Drinking Water Facility    | 0.40        |
|  |  | Running Water Facility for Toilets | 0.30        |
|  |  | Plantation with Fencing            | 0.25        |
|  |  | <b>Total</b>                       | <b>1.35</b> |

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रुपये, खाद के लिए राशि 200 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 24,700 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।
19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (खारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, रीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 नग पौधों का रोपण (कुल 1,400 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ड्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी फाइन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
26. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/ प्रस्तावित क्रशर पर वेब कॅमरा (एक माह का स्टोरेज फॅसिलिटी सहित) लगाया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Consession Rule) के तहत बाउण्ड्री फिल्सर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. सख्त प्राधिकारी / सी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (प्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सख्त व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था अप्रतिष्ठित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे इस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौम खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौम खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईनिंग एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि कॅम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।



37. श्रमिकों के लिए खानन स्थल पर स्वच्छ पेयजल धिकित्वाकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आकूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन/निरस्त करने से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्वाव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों की शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्राक्कानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
सदस्य, एस.ई.ए.सी.



नेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.- श्री कमलेश कुमार सिंह, पड़रामटोला क्वार्ट्ज क्वारी)  
को खसरा क्रमांक 273, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम-पड़रामटोला,  
तहसील-छरिया, जिला-राजनांदगांव में क्वार्ट्ज (गौण खनिज) उत्खनन -  
12,985 टन (4,900 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली  
शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 5 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से क्वार्ट्ज का अधिकतम उत्खनन क्षमता 12,985 टन (4,900 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस रिधति तक किया जाएगा, जिससे यह धारा, वनस्पतियाँ, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वाम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी विमनी / बेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दबाव का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के

विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पर्यावरणीय इस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य इस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं इस्ट कंटेन्मेंट कम संप्रेषण सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संचारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड बेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में कृषारोपण किया जाए।
11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।
12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिह्नित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से कृषारोपण किया जाए।
13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु नाईन पीट तथा ढम्प क्षेत्र में रिटेंनिंग वॉल / चारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।
15. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
16. सीईआर, (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

| Capital Investment<br>(in Lakh Rupees) | Percentage of Capital Investment to be Spent | Amount for CER Activities<br>(in Lakh Rupees) | Amount Proposed & Details for CER Activities<br>(in Lakh Rupees) |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   | Particulars  | CER Fund Allocation<br>(in Lakh Rupees) |
| 40                                     | 2%   | 0.80  | Following activities at, Village- Padramtola                     |   |

|  |  |  |                   |     |      |
|--|--|--|-------------------|-----|------|
|  |  |  | Pavitra<br>Nirman | Van | 1.06 |
|  |  |  | Total             |     | 1.06 |

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरंत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रुपये, सिंचाई, खाद के लिए राशि 20,000 रुपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रुपये, इस प्रकार 5 वर्ष में कुल राशि 1,06,500 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत केशोटोला के सहमति उपरंत उद्यायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 225, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।
19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोगरार्डर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरंत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवे, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
21. उखनन हेतु निश्चित क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), होल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 नग पौधों का रोपण (कुल 2,000 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (सूखा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा विन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी फालन प्रतिवेदन के साथ जमा करे।
24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण

- का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पीछों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
25. किये गये कृषारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राम्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
  26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
  27. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पयुजिटिव इस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
  28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
  29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
  30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जांच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
  31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से कंट्रोल स्टारिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फलाई रॉक्स) को छड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे इस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
  32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
  33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
  34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रीन खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ वीथ खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
  35. कार्य स्थल पर यदि केमिंग अधिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवाश हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के परधात हटाया जा सके।
  36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
  37. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
  38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपेक्षित सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
40. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन/निरस्त करने से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतनय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर

विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाकत निर्णय ले सकें।  
खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,  
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं  
किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय  
कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30  
दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के सम्मक्ष, नेशनल ग्रीन  
ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय  
अवधि में की जा सकेगी।

  
सदस्य, साधिव, एस.ई.ए.सी.

  
अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.